न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 67/2016

सोहन सिंह पुत्र हरि सिंह, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम चारलीगंज, तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम —वादी

हरि सिंह पुत्र शंकर, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम चारलीगंज, तहसील व जिला भरतपुर।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः— 04—12—2018

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी पुश्तैनी में मौके पर काबिज हाल आराजी खसरा नंबर 181/0.22, 182/0.22, 252/0.19 कुल किता 3 रकबा 0.63 हैक्टेयर वाके ग्राम चारलीगंज, तहसील व जिला भरतपुर में से 1/2 भाग का खातेदार है। जिस पर वादी का जन्म से ही हक है, जो भाई बट में वादी के हिस्से में आई है। इस कारण वादी खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त आराजी वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी हरी सिंह के नाम है।

प्रतिवादी ने अपने अन्य दो बेटे नारायण सिंह के हक की अपनी खातेदारी के रकबा में से दो बीघा 12.5 बिस्वा खेत का वयनामा रामस्वरूप व सुरेश जाति ब्राह्मण निवासी ऊँदरा के नाम करा दिया है। जिसकी रकम प्रतिवादी के बड़े पुत्र नारायण सिंह ने ले ली है। इसके अलावा प्रतिवादी के मध्यम पुत्र महेन्द्र सिंह के पैर टूटने पर उसके ईलाज हेतु प्रतिवादी ने 5.5 बीघा रकबा को द्वारिका प्रसाद ब्राह्मण निवासी ऊँदरा को बेच दिया था। जिसकी

रकम महेन्द्र सिंह के टूटे पैर के ईलाज में लग चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी के शेष रकबा में भी उक्त दोनों वादी के भाई नारायण सिंह व महेन्द्र सिंह वादी के साथ–साथ प्रतिवादी के मरने के बाद हकदार हो जायेंगे। इसलिए वादी चाहता है कि आराजी खसरा नंबर 181,182,252 का निष्फ हिस्सा जो कि वादी के कब्जे में है उसे अपने हक में डिक्री करा ले। क्योंकि प्रतिवादी ने आराजी खसरा नंबर 699/0.16, 774/0.20, 775/0.20 वाके ग्राम चारलीगंज के रकबा की रजिस्टर्ड वसीयत वादी के हक में करा दी है। जिस पर वादी का न्यारानूर कब्जा है। परन्तु प्रतिवादी के मरने के बाद वसीयत का नामांतरकरण वादी के हक में होगा। उक्त वसीयत वाली आराजी प्रतिवादी की खरीदशुदा आराजी थी। जिसे वसीयत करने का हक प्रतिवादी को था। अब यदि आराजी मुतनाजा बावत वादी के हक में डिक्री हो जाती है तो प्रतिवादी के तीनों पुत्रों को वहिस्सा बराबर में प्रतिवादी के मरने पर मिल जावेगी। इसलिए वादी चाहता है कि प्रतिवादी के जीते जी आराजी मुतनाजा की डिक्री अपने हक में करा ले।

प्रतिवादी वादी के कब्जे की आराजी मुतनाजा को वादी के हक में कराने को इंकार कर रहे हैं। इसलिए वादी ने प्रतिवादी से अन्य दो भाईयों की तरह हिस्सा बराबर कागजात पटवार में रजामन्दी से इन्द्राज करने को कहा तो प्रतिवादी ने दिनांक 26.05.2016 को हिस्सा बराबर बट करने से मना कर दिया। अतः पिता के जीते–जी दावा कराकर अपने नाम खातेदारी करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार वादी ने निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 181/0.22, 182/0.22, 252/0.19 किता 3 कुल रकबा 0.63 में से 1/2 भाग वाके ग्राम चारलीगंज तहसील व जिला भरतपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राजों को कलमजन किया जावे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2068–2071 पेश की है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.08.2016 को प्रतिवादी जरिये अभिभाषक उपस्थित आया और अपना इकबाल दावा पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में निहित की गई। साक्ष्य वादी में दिनांक 25.10.2016 को स्वयं वादी का शपथ–पत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में निहित की गई।

अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि प्रतिवादी उसका पिता है और प्रतिवादी ने आराजी में से कुछ जमीन का, उसके अन्य दो बेटों के हक की भूमि का बेचान कर दिया है। प्रतिवादी ने वादी के दावा के तथ्यों को स्वीकारते हुए अपना इकबाल दावा पेश किया है। वादी आराजी में स्वयं को पूर्ण हिस्से का खातेदार बताता है, परन्तु पिता की आराजी में केवल अपने हिस्से तक ही खातेदारी प्राप्त कर सकता है, पूर्ण की नहीं। वादी ने अपने दावा में यह भी अंकित किया है कि उसके दो भाईयों के हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया गया है, किंतु विक्रय की गई भूमि का कोई रजिस्टर्ड वयनामा अपने तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही अन्य वारिसान का कोई हवाला दिया गया है और न ही प्रतिवादी के अन्य वारिसान को दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी ने भी इकबाल दावा पेश कर वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा दावा में चाहा गया अनुतोष व प्रतिवादी के इकबाल के आधार पर आराजी वादी के पक्ष में हस्तांतरित की जाती है, तो सीधे ही मुद्रांक करापवंचन होने से राजस्व हानि भी होगी। वादी अपने दावा को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में दावा वादी आवश्यक पक्षकारों के अभाव, मुद्रांक करापवंचन की आशंका एवं साक्ष्यों के अभाव में काबिल खारिज के है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04/12/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर